भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 642

दिनांक 05.02.2020 को उत्तर देने के लिए

अनुच्छेद 370 के विरुद्ध बयान

642. **श्री सय्यद ईमत्याज जलील:**

श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई देशों ने नागरिक संशोधन अधिनियम और जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के खिलाफ देशव्यापी विरोध के बाद इसके खिलाफ बयान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बयान देने वाले देशों की संख्या कितनी है और भारत द्वारा इसका क्या प्रतिवाद किया गया है;

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र ने भी सीएए के विरोध में बयान दिया है जिसका सरकार ने अभी तक कोई विरोध नहीं किया है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या खासकर कई देशों द्वारा सीएए के विरुद्ध दिए गए बयान के बाद सीएए ने सरकार को अपनी विदेश नीति को बदलने के लिए मजबूर किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन देशों को सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और भविष्य में ऐसे देशों को जवाब देने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति तैयार की गई है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से (छ) सरकार ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों को जम्मू एवं कश्मीर संबंधी तथ्यों के बारे में जानकारी दी है तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के परिप्रेक्ष्य को भी साझा किया है।

सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप, कई देशों ने इस बात को समझा है कि जम्मू एवं कश्मीर, जो भारत का एक अभिन्न अंग है, से जुड़े मामले भारत के आंतरिक मामले हैं; और पाकिस्तान प्रायोजित सीमा-पार से संचालित आतंकवाद जम्मू एवं कश्मीर सहित भारत के लोगों के जीवन के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है तथा उन्हें प्रभावित कर रहा है। कई देशों ने पाकिस्तान से कहा है कि वह किसी भी प्रकार से अपने भूक्षेत्र का उपयोग आतंकवाद के लिए न होने दे।

भारत की स्थिति को भी समझा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक सकारात्मक उपाय है जिसका आशय भारत में रह रहे पीड़ित वर्ग की लंबे समय से चली आ रही दुर्दशा का समाधान करना है; और यह किसी भी प्रकार भारत के किसी नागरिक की हैसियत को प्रभावित नहीं करता अथवा किसी भी धर्मावलंबी भारतीय को उसकी नागरिकता से वंचित नहीं करता। इन देशों ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारतीय लोकतांत्रिक परंपराएं तथा संस्थाएं भारतीय संसद द्वारा लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन के क्रम में उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दों को संभालने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता ने 13 दिसंबर 2019 को एक प्रैस ब्रीफिंग नोट में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में गलत एवं बेबुनियाद उल्लेख किए। सरकार ने तत्काल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय में अपना विरोध दर्ज कराया और स्पष्ट रूप से सूचित किया कि यह विधान एक लोकोपकारी उपाय है और यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी दायित्वों के अनुरूप है।

सरकार ने भारत के इन आंतरिक मामलों खासकर उन कानूनों के संबंध में जो एक संप्रभु राष्ट्र कि संसद द्वारा पारित किए गए हों, को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने के किसी भी प्रयासों को पूर्णत: एवं स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।

सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर के मुद्दे पर चीन, मलेशिया एवं तुर्की द्वारा दिये गए कुछ वक्तव्यों पर भी ध्यान दिया है। उन्हें यह सूचित कर दिया गया है कि भारत इन देशों से आशा करता है कि वे भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी न करें; भारत की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें; और इस मुद्दे पर समुचित समझ विकसित करें।

***